सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 5081 / 1022 / 2015 दिनांकः– 14.03.2017

के मामले में

श्रीमति उज्जवला राजेश शिंगोडे, D855
संरक्षक श्री अशोक वाल्दे,
न्यू गार्डन ले आउट, प्लाट नं. 29,
कामठी रोड, बेझनबाग, नागपुर,
महाराष्ट्र – 440 004
ईमेल– <ujwala.shingode@gmail.com> ..... शिकायतकर्ता

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक, D856
(द्वाराः अध्यक्ष सह प्रबन्धक निदेशक),
स्टेट बैंक भवन,मैडम कामा मार्ग,
मुम्बई–400021
ईमेल–chairman@sbi.co.in ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 03.03.2017
उपस्थितः
1. श्रीमति उज्जवला राजेश शिंगोडे, शिकायतकर्ता ।
2. श्री श्री के. पार्थसारथी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जिनके पति 55 प्रतिशित अस्थिबाधित हैं, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनके निवास स्थान के नजदीक पदस्थापित करने से संबंधित शिकायत दिनांक 20.08.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके पति भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत हैं तथा पदोन्नति उपरान्त उनका स्थानान्तरण नागपुर से 45 किलोमीटर दूर कुही कर दिया गया । एक वर्ष नौ महीने के बाद उनका स्थानान्तरण कुही से भंडारा किया गया जो नागपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और अब भंडारा से गोंदिया शाखा जो नागपुर से 170 किलोमीटर दूर है, कर दिया गया है उनके पति उक्त

....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in

संबंध में आचंलिक कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक से भी मिले तथा उप महाप्रबन्धक श्री शंकर को भी एक पत्र लिखा परन्तु कोई जवांब प्राप्त नहीं हुआ । उन्होंने निवेदन किया है कि उनके पति का तबादला नागपुर में करवाया जाए ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 22.09.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 14.01.2016 को स्मरण–पत्र भी जारी किया गया ।

4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, नागपुर ने पत्र संख्या आरएम/।।।/एचआर/2057 दिनांक 11.01.2016 द्वारा सूचित किया कि श्री राजेश नारायण शिंगोडे की कनिष्ठ प्रबन्धंक श्रेणीमान 1 के तौर पर पदोन्नति हुई और दिनांक 11.11.2011 को कुही शाखा में लेखापाल के पद पर तैनाती की गई । इस शाखा मे उनके खिलाफ दुर्व्यवहार एवं डयूटी में चूक संबंधी शिकायतें दर्ज की गई तथा उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई । उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हुए एवं उन्हें संचयी प्रभावरहित एक वर्ष के लिए वेतनवृद्धि पर रोक लगाई गई । इन परिस्थितियों में उनकी भंडारा शाखा में दिनांक 01.09.2013 से तैनाती की गई । उक्त अधिकारी की शारीरिक विकलांगता पर विचार करने के उपरांत 04.05..2015 से उनकी गोंदिया शाखा में तैनाती की गई जो एक शहरी केन्द्र है जहां सब प्रकार की चिकित्सा एवं शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हैं । उक्त अधिकारी पट्टाकृत आवास (लीज़ड एकोमोडेशन) के लिए पात्र है और उन्हें लम्बी दूरी की यात्रा तय नहीं करनी पड़ती जैसाकि हमारे प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य केन्द्रों में अधिकारियों की तैनाती करने पर होता है । अतएव हमारा अभिमत है कि श्री राजेश शिंगोडे की गोंदिया शाखा में तैनाती करने पर उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है ।

5. शिकायतकर्ता श्रीमती उज्जवला ने ईमेल दिनांक 15.06.2016 द्वारा अपनी शिकायत की एक प्रति दिनांक 20.01.2016 इस न्यायालय को भेजी, जिसके साथ उन्होने बैंक के उत्तर दिनांक 11.01.2016 की प्रति संलग्न की है । उनका कहना है कि उत्तर में कहा गया कथन सामान्य अधिकारी को लागू होता है, विकलांग अधिकारी को पदोन्नति के बाद वित मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार विकलांग कर्मचारी/अधिकारी को उनके मूल निवास के समीप तैनात करना अनिवार्य है, इसके बावजूद मेरे पति का तबादला 170 किलोमीटर दूर गोंदिया शाखा में किया गया, इससे मेरे पति श्री राजेश नारायण शिंगोडे पर अन्याय हुआ है

....3/–

क्योंकि मेरे पति की पदोन्नति नागपुर शहर पंचपावली शाखा, नागपुर से हुई है और हमारा निवास स्थान नागपुर है । उन्होंने निवेदन किया है कि वित मंत्रालय, भारत सरकार के नियम के अनुसार विकलांग मेरे पति श्री राजेश नारायण शिंगोडे का तबादला नागपुर शहर मे करने की कृपा की जाए ।

6. मामला पुनः मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 18.07.2016 द्वारा उठाया गया ।

7. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने पत्र संख्या आरएम/।।।/एचआर/226 दिनांक 25.10.2016 द्वारा सूचित किया कि वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक बैंकों में शारीरिक विकलांग कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापित करने के संबंध में पत्र कमांक 302/33/27—एससीटी(8) दिनांक 15 फरवरी, 1988 में निहित सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का संदर्भ लिया । श्री राजेश शिंगोडे के 15.09.2011 को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत होने के पश्चात् केवल मात्र वे अकेले प्रत्याशी थे जिन्हें उनकी शारीरिक विकलांगता को ध्यान में रखते हुए नागपुर माडयूल में पदस्थापित किया गया था । जबकि उस बैच के सभी अधिकारियों की नागपुर माडयूल के बाहर पदस्थापना की गई थी । साथ ही, उस समय उकनी कुही शाखा में पदस्थापना के बारे में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की थी । वे तब नागपुर से आवाजाही करते थे तथा अब भी नागपुर से गोंदिया प्रतिदिन आवाजाही करते हैं तथा आज तक उन्होंने कोई चिकित्सा व्यय बिल प्रस्तुत नहीं किया है । इससे स्पष्ट है कि वे अपनी विकलांगता के बावजूद ठीक—ठाक हैं तथा इससे उन्हें कोई समस्या नहीं है ।

KL

8. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20.11.2016, 30.11.2016 एवं ईमेल दिनांक 01.12.2016 द्वारा अन्यों के साथ—साथ यह सूचित किया कि सरकारी दिशा—निर्देश दिनांक 15.02.1988 में निहित सरकारी मार्गदर्शक सिद्धांत का नियम उनके पति पर ही लागू होता है क्या, जिसमें अनुशासनिक कार्रवाई व धोखाधड़ीपूर्ण लेन—देन का संदर्भ देकर उनके पति की पदस्थापना में परिवर्तन करने में असमर्थ हैं । उनके पति पर लगा अनुशासनिक कार्रवाई का आरोप सही है, जिसके लिए उनके पति को एक वर्ष के लिए माइनर पेनल्टी हेतु एक वेतनवृद्धि भी रोकी गई थी । उनके अनुसार धोखाखड़ी लेनदेन का आरोप सरासर गलत है एवं उनके प्रति ने कभी भी लेनदेन में धोखाधड़ी नहीं की है वह इसका खण्डन करती है ।

9. मामले के अध्ययन उपरान्त मामले की सुनवाई दिनांक 03.03.2017 को निर्धारित की गई ।

10. दिनांक 03.03.2017 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि उनके पति पर अनुशासनिक कार्रवाई का आरोप सही है, जिसके लिए उनके पति को एक वर्ष के लिए माइनर पेनल्टी हेतु एक वेतनवृद्धि रोकी गई थी लेकिन धोखाधड़ीपूर्ण लेन–देन का आरोप सरासर गलत है । उनके पति ने कभी भी लेन'–देन में धोखाधड़ी नहीं की है । वह इसका खंडन करती है । उनके पति 55 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग है । भारत सरकार के वित मंत्रालय और महाराष्ट्र शासन के अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्ति को उनके रहने के स्थान के नजदीक नियुक्त करना चाहिए । इसका वहां पर रहने या आवा–जाही करने से इसका कोई संबंध नहीं है अतः प्रार्थना है कि उनके पति का नागपुर शहर में तबादला करने योग्य न्याय देने की कृपा करें ।

11. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता की अधिकारी के तौर पर पदोन्नति हुई थी और दिनांक 16.11.2011 को उन्हें लेखापाल के पद पर कुही शाखा, जिला नागपुर में पदस्थ किया गया । उनके दुर्व्यवहार के बारे में ग्राहकों की शिकायतें आईं तथा उनके काम मे भी वर्ष 2013 में अनियमितताएं पाई गईं । चूंकि उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई विचाराधीन थी, अतः उन्हें दिनांक 03.08.2013 से भंडारा शाखा में स्थानान्तरित कर दिया गया । तत्पश्चात् उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई और 30.03.2014 को संचयी प्रभावरहित एक वर्ष के लिए उनकी वेतनवृद्धि पर रोक लगाई गई । उन्होंने कुही शाखा में तैनाती के दौरान गलत तरीके से घरेलू सामग्री के लिए परिवहन प्रभार, यात्रा और स्थानान्तरण होने पर विश्राम भत्ते का दावा किया और प्रतिदिन आना–जाना करते थे, जिसे जांच के दौरान उनके द्वारा स्वीकार किया गया है । श्री शिंगोड़े ने नियमित उपचार के लिए कोई भी चिकित्सा बिल का दावा नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि वे अपंगता के बावजूद भी चिकित्सीय दृष्टि से ठीक है । उनके द्वारा स्वयं के फ्रैक्चर के लिए अथवा अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने का बिल दिए जाने के यहां उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है । श्री राजेश शिंगोड़े के मामले मे न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने न्यायपूर्ण आधार पर उनके वापस नागपुर स्थानान्तरण पर विचार करने हेतु बैंक से कोई अनुरोध है । यदि ऐसा हुआ होता तो प्रबंधन ने उनके मामले पर भी विचार

...5/–

किया होता । उन्होंने आगे निवेदन किया कि सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन किया गया है तथा श्री राजेश शिंगाोड़े का नागपुर स्थानान्तरण उपयुक्त समय पर या बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत किया जाएगा ।

12. पक्षकारों को सुनने और फाइल पर रखे गए अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय प्रतिवादी को सलाह देता है कि वे शिकायतकर्ता के पति श्री राजेश शिंगोडे के मामले में वित मंत्रालय के पत्र दिनांक 07.05.1992 और वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांक 18.11.2014 एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10.05.1990 को मध्यनज़र रखते हुए शिकायतकर्ता की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक शिकायतकर्ता के स्थानान्तरण के मामले पर विचार करते हुए इनका नजदीकी शाखा में स्थानान्तरण करें और इस मामले की अनुपालन रिपोर्ट इस न्यायालय को इस आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन